भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1057
बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण रोजगार छूट जाना

1057. श्री आनन्द शर्माः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 30 मार्च, और 5 जुलाई, 2021 के बीच कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार छूट जाने के संबंध में कोई आकलन किया है;
(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार रोजगार छूट जाने से प्रभावित बेरोजगार लोगों के लिए लक्षित आय राहत संबंधी उपाय तैयार किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और
(घ) कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण गरीबी रेखा नीचे चले गए लोगों और परिवारों की संख्या और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी के संबंध में सरकार का आकलन, यदि कोई है, क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी की दर क्रमश 5.8% तथा 4.8% है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मासिक पे-रोल आंकडो का प्रकाशन भी कर रहा है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशदाता आधार में संचयी शुद्ध पे-रोल वृद्धि 77.08 लाख है, जो कि पिछले वर्ष (78.58 लाख) के लगभग बराबर है। यह देखा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के महीने को छोड़कर 2020-21 के प्रत्येक माह में ईपीएफओ अंशदाता आधार द्वारा दर्शाए गए शुद्ध पे-रोल में वृद्धि हुई है।

सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ उन बीमित कामगारों, जिन्होंने कोविड-19 के कारण रोजगार गंवा दिया है, के लिए लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****